

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

// निविदा सूचना //

क्रमांक. 168/जल/वार्षिक नि0-2017-18

राजनांदगांव दिनांक 08/02/17

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के अधिनस्थ जल प्रदाय विभाग में वित्तीय वर्ष 2017-18 के निम्न कार्य हेतु कर्मचारियों/श्रमिकों की आवश्यकता है। एकीकृत में पंजीकृत ठेकेदार एवं शासन के अन्य विभाग एवं शासकीय उपक्रम में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों एवं प्लेसमेंट एजेंसी से फार्म "बी" निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

: 7/3/2017 शाम 5.00 बजे तक

2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि

: 8/3/2017 को

संध्या 4.30 बजे कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य		
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु श्रमिक। (कुल 01 श्रमिक)	0.91	1000.00	750.00		
2	पंप अटेंडेंट कार्य हेतु श्रमिक। (कुल 23 श्रमिक)	19.98	20000.00	750.00		
3	हैण्डपंप मेकेनिक कार्य हेतु श्रमिक। (कुल 20 श्रमिक)	17.55	17000.00	750.00		
4	श्रमिक कार्य हेतु (कुल 17 श्रमिक)	14.82	15000.00	750.00		

शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
- निविदा में भाग लेने से इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
- दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे।
- ठेकेदार को आवेदन के साथ निविदा राशि के बराबर किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभाग में श्रमिक प्रदाय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश प्रस्तुत करना होगा।
- नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
- आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं तो निविदा कार्यवाही अग्रीम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे।
- छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्वोरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।

निविदाकार को तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

संगठन शासन के आदेश क्रमांक एफ 4-11/2015/18 नया रायपुर दिनांक 18.11.2015 के निर्देशानुसार राज्य में शोरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

अनुमानित राशि एवं समयावृद्धि में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

Bhms
07/02/17
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
राजनांदगांव दिनांक 08/02/17

पृ. क्रमांक 169 / जल / वार्षिक नि-2017-18

- 1 माननीय महापौर / अध्यक्ष नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी सदस्य, जल विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
- 3 कार्यालय _____ नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।
- 4 डाटा सेंटर प्रभारी, विभागीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

Bhms
07/02/17
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव